इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 जनवरी 2016—पौष 12, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. एफ 16-07-2011-एक-4.—राज्य शासन द्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 16-7-2011-एक-4, भोपाल, दिनांक 10 अगस्त, 2015 द्वारा प्रकाशित ''मध्यप्रदेश भवन तथा मध्यांचल अधिवास नियम, 2015'' में नियम 1 (2), ''परिशिष्ट-1'' के नीचे Foot Note, पूरा परिशिष्ट-दो, नियम 11 (1), परिशिष्ट-चार का शीर्ष, परिशिष्ट-चार की टीप 2 एवं नियम 8 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है.:—

विवरण (1)	प्रतिस्थापित नियम (2)
नियम 1 (2)	यह नियम 18 सितम्बर 2015 से प्रवृत्त है.
''परिशिष्ट-1'' के नीचे Foot Note	उपरोक्त परिशिष्ट के व्यक्तियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी शिष्टाचार वरीयता क्रम (order of precedence) के अनुरूप अग्रता क्रम में मांग पूर्ति के बाद अन्य शासकीय सेवकों को स्थान उपलब्धता के आधार पर शासकीय कार्य से प्रवास पर नि:शुल्क अधिवास की पात्रता होगी. कर्त्तव्य पर प्रवास करने हेतु परिशिष्ट-1 के सरल क्र. 1 से 13 को छोड़कर शेष सभी को शासकीय कार्य से प्रवास का प्रमाणीकरण अभिलेख आरक्षण हेतु आवासीय आयुक्त कार्यालय में अग्रिम भेजना होगा अथवा स्वागतकक्ष में आगमन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा नि:शुल्क आवास की पात्रता नहीं होगी एवं निर्धारित शुल्क लिया जावेगा.

परिशिष्ट–2

ऐसे व्यक्तियों की सूची जो निर्धारित शर्तों पर अवकाश या निजी कार्य से प्रवास पर भवन में कक्ष उपलब्धता के आधार पर अधिवास के हकदार हैं :—

स.क्र.	प्रवर्ग	अधिवास की शर्तें एवं शुल्क की दरें
(1)	(2)	(3)
1.	मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अन्य प्रदेशों के राज्यपाल जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों.	एक कैलेण्डर वर्ष में कुल 30 दिवस नि:शुल्क. अतिरिक्त अवधि के लिये परिशिष्ट–3 के अनुसार शुल्क देय होगा.
2.	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, लोकायुक्त, उप लोकायुक्त, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण के अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्यप्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त.	उपरोक्त सरल क्रमांक 1 के अनुसार.
3.	मध्यप्रदेश के विधायकगण.	एक कैलेण्डर वर्ष में तीन दिवस अधिकतम प्रतिमाह की शर्त पर 30 दिवस नि:शुल्क. अतिरिक्त अवधि के लिये परिशिष्ट–3 के अनुसार शुल्क देय होगा.
4.	वर्तमान मध्यप्रदेश के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक.	एक कैलेण्डर वर्ष में कुल 15 दिवस नि:शुल्क. अतिरिक्त अवधि के लिये परिशिष्ट–3 के अनुसार शुल्क देय होगा.
5.	मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी.	उपरोक्त सरल क्रमांक 1 के अनुसार.
6.	राज्य शासन के अधिकारी / कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य, जो संचालक, चिकित्सा शिक्षा की अनुशंसा के आधार पर चिकित्सीय परीक्षण / इलाज कराने के लिये आये हों.	एक कैलेण्डर वर्ष में 15 दिवस के लिए परिशिष्ट–3 में दर्शायी दरों से आधी दर पर. शेष अवधि में पूरी दर पर शुल्क देय होगा.
7.	(अ) राज्य शासन के सेवारत् अधिकारी / कर्मचारी जो निजी कार्य से दिल्ली आये हों.	एक कैलेण्डर वर्ष में कुल 06 दिवस नि:शुल्क. इसके पश्चात् 10 दिवस तक परिशिष्ट–तीन में दर्शाई दरों से आधी दर पर. शेष अवधि में पूरी दर पर शुल्क देय होगा.
	(ब) राज्य शासन के सेवा निवृत्त अधिकारी / कर्मचारी जो निजी कार्य से दिल्ली आये हों.	एक कैलेण्डर वर्ष में कुल 03 दिवस नि:शुल्क. इसके पश्चात् 05 दिवस तक परिशिष्ट–तीन में दर्शाई दरों से आधी दर पर. शेष अवधि में पूरी दर पर शुल्क देय होगा.

	8.	अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र से सम्मानित मध्यप्रदेश के निवासी सैनिक.	उपरोक्त सरल क्रमांक 4 के अनुसार.
	9.	प्रदेश के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, को दिल्ली में साक्षात्कार की तैयारी हेतु.	एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 10 दिवस निःशुल्क. मध्यांचल भवन में सामान्य कक्ष.

टीप.— परिशिष्ट क्रमांक 1 में उल्लेखित कर्तव्य पर प्रवास पर आये व्यक्तियों की मांग-पूर्ति के बाद कक्ष उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त व्यक्तियों को पात्रता होगी.

नियम 11 के स.क्र. 1	सामान्यतः भवनों के रहवास के संदर्भ में चेक आउट समय 24 घंटे होगा परन्तु मध्यांचल हेतु परिशिष्ट-चार में दर्शाये थोक आरक्षण हेतु चेक आउट समय दोपहर 12 बजे होगा.
परिशिष्ट-चार का शीर्ष	मध्यांचल में समूह अथवा थोक आरक्षण (05 अथवा 05 से अधिक कक्षों के लिये आरक्षण) कक्ष उपलब्धता के आधार पर कराया जा सकेगा उनकी दरें निम्नानुसार होगी.
परिशिष्ट-चार की टीप 2	वर्तमान मध्यप्रदेश के वर्तमान एवं पूर्व सांसदों, विधायकों, सेवारत / सेवानिवृत्त सेवकों के केवल स्वतः के तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित गतिविधियों के लिये थोक आरक्षण के लिये उपयोग करने पर परिशिष्ट-3 की दरें एवं शर्तें लागू होगी.
नियम 8	(अ) उपरोक्त नियम 4 से 7 में सम्मिलित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भवन में स्थान उपलब्धता के आधार पर आवासीय आयुक्त के आदेश पर अधिकतम तीन दिन की अवधि के लिये कक्ष दिया जा सकेगा. इन व्यक्तियों से परिशिष्ट-3 में दर्शायी गई दरों पर शुल्क अग्रिम लिया जावेगा. इससे अधिक अवधि के अधिवास के लिये आवासीय आयुक्त की अनुमति आवश्यक होगी. (ब) **विदेशी अतिथियों का अधिवास**—मध्यप्रदेश भवन / मध्यांचल में केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, उनसे संबंधित संस्थानों तथा गणयमान व्यक्तियों, उच्च अधिकारियों द्वारा अनुरोध करने पर कक्ष उपलब्धता के आधार पर आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति से, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत Bureau of Immigration द्वारा निर्धारित आनलाइन ''सी फार्म'' के माध्यम से नियमानुसार सूचना प्रदाय करने की शर्त पर विदेशी अतिथियों को अधिवास की पात्रता होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.